

तारीख हुक्म


20/5/2022
वादी
वकील
सुनवाई

C/No. 80/2024 इवान नेमीचंद बनाम नोसर
वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अर्जीट
सुनवाई व राजीनामा पेश करने पर पत्रावली
निमित्त तिथी से पूर्व आज तलब की गई
वादी नेमीचंद उप. तथा प्रतिवादी रत्ना, रिष्केश
लक्षण, सुगर्षी, नोसर बच्चोटी उप. होकर जस्टिस
वकील वादी के निवेश किया कि उक्त प्रकरण
में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत
की भावना से राजीनामा हो चुका है के अर्थ
उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाया जाये।
हमारे द्वारा राजीनामे पर वकील वादी व वादी
सुजागपा अर: राजीनामा स्वीकार किया जाता
है तथा राजस्व वाड क्रमांक 80/2024 इवान नेमीचंद
वा नोसर अन्तर्गत धारा 53, 188 रा. वा. अध. को इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रा. पत्रों पर
भुगत होकर नमूने कागदों

न्यायाधीश
अदालत (महाराष्ट्र)



रत्ना



रिष्केश




सुगर्षी



नोसर



वादी



वकील

पट्टावली
20/5/22